PAPER-III
TDC Part-II

POL. SCIENCE

Dr. S. B. Kumar

STATE JUDICIARY (राज्य न्यायपालिका)

High Court (उच्च न्यायालय)

संविधान द्वारा भारत संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) की व्यवस्था की गई है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। आज भारत संघ के प्रायः प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है और वर्तमानतः भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं।

उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका की सबसे बड़ी अदालत है। देश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हमारे यहाँ समूचे संघ के लिए एकीकृत (integrated) न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जिसके शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) है। अर्थात् राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखे गए हैं। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख-न्यायालय (Court of Records) है, इसलिए इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यहाँ हम पटना उच्च न्यायालय के संगठन एवं कार्यों/अधिकारों की चर्चा करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनु० 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख-न्यायालय है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। बिहार में भी एक उच्च न्यायालय है, जिसका मुख्यालय पटना है।

पटना उच्च न्यायालय का संगठन :- उच्च न्यायालय को न्याय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 43 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है लेकिन वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 24 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

नियुक्ति एवं योग्यताएँ :- वही व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो — (1) भारत का नागरिक हो (2) कम से कम 10 वर्षों तक भारत

Scanned with CamScanner

में किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और/(अथवा) (3) एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत कर चुका हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबद्ध राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबद्ध राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है।

उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहता है। ~~सर्वोच्च~~ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की वही प्रक्रिया (महाभियोग) है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। प्रत्येक न्यायाधीश को वेतन एवं भत्तों सहित निःशुल्क आवास की व्यवस्था रहती है। वर्तमान में न्यायाधीश का वेतन 2,25,000/- रु है जबकि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000/- रु है।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :- सामान्यतः उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर देख सकते हैं :

(1.) प्राथमिक अधिकार क्षेत्र :- उच्च न्यायालय को दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों में, विशेष रूप में अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र (समूचा बिहार) मिले हैं। सभी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों की सुनवाई निचली अदालतों के बाद उच्च न्यायालय में होती है।

(2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र :- उच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। 5000/- रु. से ऊपर की सभी दीवानी मामले तथा फौजदारी ~~मुकदमों~~ मामलों में कोई कानून का प्रश्न अंतर्निहित हो तो इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में हो सकती है।

(3) रिट जारी करने का अधिकार :- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ तथा नागरिकों को शासन के अन्यायपूर्ण एवं अवैध कार्यों के विरुद्ध उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत वह बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा जैसे समादेश (Writs) जारी करती है।

(4) अधीक्षण की शक्ति :- सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी अधीक्षण (Supervision) की अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालयों से हिसाब का लेखा मांगता है, उसकी प्रक्रिया के सामान्य नियम निर्धारित करता है। वह अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारी, लिपिक, वकील इत्यादि के लिए भी नियम निर्धारित करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर व्यापक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष है। इसके अधीन राज्य में दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व के न्यायालय हैं जो इसके दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करती है। जनतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। ये संविधान तथा नागरिकों के मूल-अधिकारों के रक्षक हैं। अतः संविधान द्वारा इन्हें उपयुक्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है:

1.) इसकी नियुक्ति का तरीका ऐसा है जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता है क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

2.) वित्तीय संकट (अनु० 360) के उद्घोषणा काल को छोड़कर और किसी समय न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते में सेवाकाल के दौरान कोई कटौती नहीं हो सकती है।

3.) न्यायाधीशों के कार्यों पर, जो उन्हें कर्तव्य पालन के सिलसिले में संपन्न किया है, संसद या विधानमंडल में कोई बहस नहीं ले सकती है।

4) न्यायाधीशों को पदच्युत करने का अधिकार सिर्फ संसद को है।

5.) सेवानिवृत्ति के पश्चात, कोई न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है।

इस प्रकार उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया गया है लेकिन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का पद खाली रहने के कारण न्याय में विलंब होता है। अकेले पटना उच्च न्यायालय में ही 43 की जगह 24 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।

—x—

Scanned with CamScanner